विविध GCMS नंबर 2024/212 बअनवान शैतान पुरी वगैरा बनाम कन्या देवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में आपत्ति प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी अपनी भूमि की सिंचाई के लिये पूर्व में पक्षकारों द्वारा छोडी गई पानी की वेल (नाली) के रूट से पाईपलाईन ले जा सकता है तथा इसके अलावा बाली फालना मुख्य सडक की तरफ बाहरी किनारे से भी पाईपलाईन ले जा सकता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थी की भूमि में मौके पर राजुभाई माली का ढाबा चल रहा है तथा अलग से टयूबवैल भी खोद रखा है। जिस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ही तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला ने जांच रिपोर्ट पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251 ए बाबत भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का खारिज किया जावे। इसके विपरीत वकील प्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सिचाई का स्त्रोत नहीं होने से शामलाती स्थित कुंए से प्रार्थी की भूमि तक पाईपलाईन बिछाने का आवेदन किया है। जो नियमों के तहत होने से स्वीकार किया जावे। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर वर्तमान में राजुभाई माली का ढाबा संचालित हो रहा है। जो कि अकृषि कार्य है। इसके साथ ही शेष रहे रकबे पर सिंचाई के लिये पहले से मौके पर ट्यूबवैल है। जिससे प्रार्थी के आवेदन अनुसार प्रस्तावित रूट से भूमिगत पाईपलाईन बिछानी की अनुमति दिये जाने के संबंध में अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार बाली द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.)) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with OKEN Scanner